कार्यालय नगरपालिका परिषद, चन्दौसी (सम्भल)।

पत्रांक 75/PWD/2017-18 दिनांक – 08.01.2018

ई–निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद, चन्दौसी में पंजीकृत/नवीनीकृत व भारत सरकार/उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित निम्न कार्य/पार्क के सृदढीकरण हेतु दिनांक 30.01.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक द्वि–निविदा द्वारा ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। बेबसाइट www.etender.up.nic.in पर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन भुगतान (एक्सीज बैक खाता संख्या 913010042045210 मे) निर्धारित मूल्य (जीएसटी सहित) जमा कर निविदा प्रकाशन की दिनांक से 30.01.2018 दोपहर 12.00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है तथा डाउनलोड की गई निविदाओं को निविदा प्रकाशन की दिनांक से 30.01.2018 दोपहर 01.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जोकि अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगी। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 30.01.2018 सांय 3.00 बजे नगरपालिका परिषद, चन्दौसी के कार्यालय में खोली जायेगी एवं सम्बन्धित ठेकेदार उपस्थित रहे सकते है। तकनीकी बिड अर्ह/बैध पाये जाने की स्थिति में वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना पृथक से पोर्टल पर अलग से अपलोड कर दी जायेगी। यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

ई–निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेबसाइट पर ही अपलोड किया जायेगा। संशोधित ई–निविदा ही मान्य होगी। निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त बेबसाईट पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। बेबसाईट पर पंजीकरण कभी भी कराया जा सकता है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नही हो पायेगा। उपरोक्त ई– निविदा सूचना का विस्तृत विवरण एवं शर्ते बेवसाइट www.etender.up.nic.in पर एवं कार्यालय नगरपालिका परिषद, चन्दौसी में भी उपलब्ध है।

क्र0 सं0	कार्य योजना का नाम	स्वीकृत लागत		धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा मूल्य (28%) जीएसटी सहित।	कार्य की अवधि
		योजना (धनराशि लाख में)	O & M (5 Years) Rs. In Lac			
01	पंजाबी पार्क का सौन्दर्यीकरण।	37.16	5.09	3.72	4864/–	6 माह
02	लाला लाजपत राय पार्क का सौन्दर्यीकरण।	52.00	8.36	5.20	6656/–	6 माह
03	जगजीवन राम पार्क का सौन्दर्यीकरण।	6.00	0.99	0.60	768/–	2 माह

शर्ते –

01– किसी भी अथवा समस्त ई–निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।

02– सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी। तकनीकी बिड में अर्हता प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की वित्तीय.बिड बाद में खोली जायेगी।

03– तकनीकी बिड में निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूपों पर आवश्यक अर्हताओं के स्वंय प्रमाणित प्रतिया रखी जायेगी। आवश्यक अर्हताओं का विवरण निविदा प्रपत्र में निहित होगा।

04– शासनादेशों के अनुपालन में ठेकेदारों/निविदादाताओं की निविदा की दरें 15 प्रतिशत से अधिक न्यून (बिलो) प्राप्त होने की दशा में निविदा स्वतः निरस्तर समझी जायेगी।

05– यदि निविदादाता आगणन से कम पर निविदा डालता है तो उसे शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/8टी0सी0/2 लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोर्मेन्स सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

06– भविष्य निधि संगठन कार्यालय में ठेकेदार/फर्म का पंजीयन (ईपीएफ कोड) होना अनिवार्य है।

07– निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व उ0प्र0 भवन एव कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 2005) के तहत श्रमिक कर्मचारी के कल्यार्थ श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

08– प्रमुख सचिव के पत्र संख्या–3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान बैध अभिवहन प्रपत्र (एफ0एम0–11) के आधार पर परिवहन किये जाये। बिना बैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0–11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ–साथ खनिज मूल्य (सामान्य रायल्टी का पॉच गुना) की कटौती ठेकेदार केबिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।

09– निविदादाता द्वारा किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नही कर सकेंगे।

10– फर्म द्वारा यदि कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो फर्म द्वारा इस हेतु जारी अधिकृत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

11– फर्म द्वारा वार्षिक निर्माण कार्य के साथ–साथ सम्बन्धित पार्क का 05 वर्ष तक अनुरक्षण एवं रख–रखाव किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में जमा की गयी जमानत धनराशि 10 प्रतिशत में से 5 प्रतिशत जमानत धनराशि एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर वापस की जा सकती है। शेष 5 प्रतिशत जमानत धनराशि अनुरक्षण कार्य सन्तोषजनक होने के पश्चात ही की जायेगी।

12– टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होगा।

13– टेण्डर के साथ रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्व–घोषणा–पत्र, शपथपत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14– स्वीकृत निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं शासन से धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

15– लेबर सैस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से नियमानुसार की जायेगी।

16– कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।

-sd-
(मनोज कुमार रस्तोगी)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, चन्दौसी।

-sd-
(इन्दु रानी)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, चन्दौसी।

संख्या एवं दिनांक – तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निदेशक / मिशन निदेशक (अमृत) महोदय, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
02. अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) / प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय, सम्भल।
03. उपजिलाधिकारी महोदय, चन्दौसी।
04. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी महोदय, सम्भल।
05. कार्यालय नगरपालिका परिषद, चन्दौसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
06. संवाददाता दैनिक जागरण... एवं सम्वाददाता हिन्दुस्तान.......... दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, चन्दौसी को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को आगामी अंक में फान्ट साइज 7 में सिंगल स्पैस में सरकारी दरों पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
07. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, चन्दौसी।